12/9/17 आज सहायक प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी के (श्री गर्ग) प्रार्थियों की सहायता अभिभाषक G.S. कल्ला द्वारा की गई। प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्ष पार्टी में आपसी समझौता हो चुका है अतः कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं करना चाहती है। वाद वापस लेना चाहती है। अतः वाद खारिज करने की आदेश दिया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थियों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम हो। प्रकरण में दिनांक 25-5-2017 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।

उपखण्ड [illegible] (राजस्व)
श्रीगंगानगर